भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1427
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के तहत बारहमासी सड़कें

1427. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन की महाराष्ट्र सहित राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सभी लक्षित ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया गया है;
(ग) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई दीर्घकालिक रखरखाव नीति लागू की गई है; और
(च) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग) : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को वर्ष 2000 में एकमुश्त विशेष कार्यकलाप के रूप में शुरू किया गया था ताकि जनगणना 2001 के अनुसार निर्दिष्ट जनसंख्या आकार की पात्र असंबद्ध बसावटों को एक ही बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्क प्रदान किया जा सके। शुरूआत के बाद से , दिनांक 24.07.2025 तक, कुल 1,63,339 बसावटों को मंजूरी दी गई है और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1,62,818 बसावटों को संपर्क प्रदान किया गया है। इस प्रकार , 99.7% लक्षित बसावटों को बारहमासी

सड़क संपर्क प्रदान किया गया है। पीएमजीएसवाई के तहत महाराष्ट्र राज्य सहित सड़क संपर्क प्रदान की गई बसावटों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में है।

पीएमजीएसवाई के सभी घटकों/कार्यकलापों के अंतर्गत कुल 8,38,611 किलोमीटर सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है , और 25-7-2025 तक महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में 7,83,309 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। पीएमजीएसवाई के विभिन्न घटकों/कार्यकलापों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ) से (च) "ग्रामीण सड़कें" राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की ज़िम्मेदारी है। हालाँकि , मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम/उपाय उठाए हैं कि महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों का उचित रखरखाव किया जाए:

(i) मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के अनुसार सभी सड़क कार्यों का शुरूआती पंचवर्षीय रखरखाव भी उसी ठेकेदार के साथ की जाने वाली निर्माण संविदा में शामिल होता है। चूँकि पीएमजीएसवाई सड़कों का डिज़ाइन जीवनकाल दस वर्ष है , इसलिए राज्यों को अतिरिक्त पाँच वर्षों तक रखरखाव करना होगा। पीएमजीएसवाई- III को लागू करते समय, पांच साल के बाद की अवधि के रखरखाव के लिए राज्यों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पीएमजीएसवाई- IV के तहत नई संपर्कता केवल उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाएगी, जिन्होंने ग्रामीण सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ईमार्ग) प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह प्रदर्शित किया है कि उनके राज्य में निर्मित पीएमजीएसवाई सड़कों का नियमित रखरखाव , सड़क के निर्माण के 5 साल बाद भी किया गया है। ईमार्ग के पांच साल के बाद के निर्माण मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार प्रारंभिक पुनर्निमाण , नवीनीकरण, पूर्व-नवीनीकरण नियमित रखरखाव, नवीनीकरण के बाद रखरखाव और आपातकालीन मरम्मत कार्य शामिल हैं।

(ii) अनुबंध की पूर्ति हेतु रखरखाव निधि का बजट राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक है और इसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास एक अलग रखरखाव खाते में रखा जाना आवश्यक है। निर्माण के बाद के इस 5-वर्षीय रखरखाव की अवधि समाप्त होने पर , पीएमजीएसवाई सड़कों को क्षेत्रीय रखरखाव अनुबंधों के अंतर्गत रखा जाना आवश्यक है, जिसमें 5-वर्षीय रखरखाव भी शामिल है और जिसमें समय-समय पर रखरखाव काल के अनुसार नवीनीकरण भी शामिल है जिसका वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

(iii) सभी राज्यों ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा , राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा तैयार नीतिगत ढाँचे के आधार पर अपनी ग्रामीण सड़क रखरखाव नीतियाँ तैयार की हैं।

(iv) कार्यक्रम के क्रियान्वयन को वांछित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप लाने के लिए , पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र को संस्थागत रूप दिया गया है। इस तंत्र का पहला स्तर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) स्तर पर आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण होता है। इस स्तर का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रयोगशाला और कारीगरी में सामग्री पर अनिवार्य परीक्षणों के माध्यम से प्रक्रिया नियंत्रण करना है। द्वितीय स्तर राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) के माध्यम से एक स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी के रूप में संरचित है, जिसमें बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यों के नियमित निरीक्षण का प्रावधान किया गया है। तृतीय स्तर के अंतर्गत , एनआरआईडीए द्वारा सड़क कार्यों के निरीक्षण हेतु यादृच्छिक नमूना आधार पर स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) को तैनात किया जाता है, ताकि न केवल गुणवत्ता की निगरानी की जा सके , बल्कि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ पेशेवरों द्वारा मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा सके। एनक्यूएम की टिप्पणियों को कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेजा जाता है , और की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की निगरानी एनआरआईडीए द्वारा की जाती है।

(v) सभी स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन , जिसमें उनका रखरखाव भी शामिल है , की नियमित निगरानी एक ऑनलाइन कार्यक्रम , ऑनलाइन प्रबंधन , निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) नामक निगरानी सूचना प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर की जाती है।

(vi) इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों और राज्यों के साथ पूर्व-अधिकारप्राप्त/अधिकारप्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव की नियमित समीक्षा भी की जाती है। उपरोक्त के अलावा , ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ताकि रखरखाव पहलुओं सहित योजना की प्रगति का जायजा लिया जा सके।

******

अनुबंध-I

<u>लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1427 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध</u>

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत संपर्कता वाली बसावटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संपर्कता वाली बसावटें (संख्या में)
1	अंडमान और निकोबार	7
2	आंध्र प्रदेश	1422
3	अरुणाचल प्रदेश	617
4	असम	13719
5	बिहार	31280
6	छत्तीसगढ	10629
7	दादरा और नगर हवेली	0
8	गोवा	1
9	गुजरात	3048
10	हरियाणा	1
11	हिमाचल प्रदेश	2555
12	जम्मू और कश्मीर	2132
13	झारखंड	10953
14	कर्नाटक	296
15	केरल	402
16	मध्य प्रदेश	17522
17	महाराष्ट्र	**1417**
18	मणिपुर	622
19	मेघालय	586
20	मिजोरम	231
21	नागालैंड	107
22	ओडिशा	16994
23	पंजाब	389
24	राजस्थान	15971
25	सिक्किम	350

26	तमिलनाडु	1985
27	त्रिपुरा	1979
28	उत्तर प्रदेश	11748
29	उत्तराखंड	1860
30	पश्चिम बंगाल	13228
31	तेलंगाना	703
32	लद्दाख	64
कुल		162818

अनुबंध-।।

लोकसभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1427 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई के प्रारंभ से लेकर आज तक (24-7-2025) तक, इसके विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के अंतर्गत देश भर में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत			निर्मित		
		नई संपर्कता	उन्नयन	कुल	नई संपर्कता	उन्नयन	कुल
		लंबाई (किमी)	लंबाई (किमी)	लंबाई (किमी)	लंबाई (किमी)	लंबाई (किमी)	लंबाई (किमी)
1	अंडमान और निकोबार	26.88	351.40	378.27	26.07	113.46	139.53
2	आंध्र प्रदेश	4,564.98	15,908.71	20,473.69	3,708.35	14,614.618	18,322.97
3	अरुणाचल प्रदेश	14,515.17	2,273.56	16,788.73	12,933.51	1,267.085	14,200.6
4	असम	26,902.58	6,008.92	32,911.50	26,734.29	5,299.633	32,033.92
5	बिहार	49,220.41	16,394.46	65,614.87	47,249.72	14,843.885	62,093.61
6	छत्तीसगढ	32,652.53	15,536.06	48,188.58	28,934.49	14,342.00	43,276.49
7	गोवा	1.02	217.45	218.47	0.00	155.33	155.33
8	गुजरात	5,312.20	10,380.92	15,693.11	5,244.38	10,191.878	15,436.26
9	हरियाणा	2.00	8,108.67	8,110.67	2.00	8,040.49	8,042.49
10	हिमाचल प्रदेश	14,902.99	10,064.77	24,967.76	14,532.16	7,847.932	22,380.09
11	जम्मू एवं कश्मीर	17,498.81	5,083.96	22,582.77	15,047.14	4,682.804	19,729.94
12	झारखंड	23,523.06	11,111.05	34,634.11	22,037.17	9,634.993	31,672.16
13	कर्नाटक	656.78	23,611.01	24,267.78	591.95	23,376.587	23,968.54
14	केरल	703.03	4,609.30	5,312.33	681.01	3,859.857	4,540.867
15	लद्दाख	660.50	998.58	1,659.07	567.48	541.63	1,109.11
16	मध्य प्रदेश	57,474.38	37,966.14	95,440.52	53,904.32	36,200.31	90,104.63
17	**महाराष्ट्र**	**4,451.08**	**30,025.08**	**34,476.16**	**4,246.40**	**27,617.63**	**31,864.03**
18	मणिपुर	9,736.10	2,720.05	12,456.15	8,948.91	1,945.92	10,894.83
19	मेघालय	3,059.13	2,919.42	5,978.55	3,001.55	1,987.78	4,989.33

20	मिजोरम	4,179.37	755.25	4,934.63	4,156.17	482.23	4,638.4
21	नागालैंड	3,129.94	1,797.23	4,927.17	3,087.80	1,234.61	4,322.41
22	ओडिशा	46,060.08	28,664.79	74,724.87	43,950.36	27,240.36	71,190.72
23	पुदुचेरी	0.00	174.13	174.13	0.00	62.36	62.36
24	पंजाब	833.25	10,811.39	11,644.64	833.25	9,580.97	10,414.22
25	राजस्थान	50,131.55	28,135.72	78,267.27	48,460.93	27,298.15	75,759.08
26	सिक्किम	3,418.51	1,801.61	5,220.12	3,255.91	1,552.71	4,808.62
27	तमिलनाडु	3,701.11	22,935.91	26,637.02	3,666.81	21,747.24	25,414.05
28	तेलंगाना	3,079.11	11,570.64	14,649.75	2,782.26	10,066.07	12,848.33
29	त्रिपुरा	3,925.38	2,293.46	6,218.85	3,491.24	1,548.99	5,040.23
30	उत्तर प्रदेश	21,324.03	56,101.12	77,425.15	20,880.46	54,448.14	75,328.6
31	उत्तराखंड	18,552.67	4,043.40	22,596.07	18,175.61	3,083.24	21,258.85
32	पश्चिम बंगाल	23,323.64	17,714.94	41,038.58	23,101.45	14,167.488	37,268.94
कुल		**447,522.23**	**391,089.11**	**838,611.34**	**424,233.15**	**359,076.71**	**783,309.05**